

राजस्थान सरकार  
शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग


क्रमांक: पं.1(19)शिक्षा-6/2014/Trasfer

जयपुर, दिनांक : 13.03.2018

आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा याचिका संख्या 16798/2017 कल्याण चन्द बुनकर व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 31.10.2017 की अनुपालना एवं प्रशासनिक दृष्टि से निम्नांकित प्रधानाचार्यों वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय को वरिष्ठतानुसार कार्यव्यवस्थार्थ उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से लगाया जाता है :-

क्र० सं०	नाम कार्मिक	पदनाम	कहां से	कहां को
1	श्री कल्याण चन्द बुनकर	प्रधानाचार्य	रावउपासवि पावटा जयपुर	उपनिदेशक, राजस्थान राज्य संस्कृत शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान महापुरा जयपुर
2	श्री सीताराम शर्मा	प्रधानाचार्य	रावउपासवि चूरु	संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी जोधपुर संभाग जोधपुर
3	श्री सीताराम मीणा	प्रधानाचार्य	रावउपासवि बहरावण्डा, दौसा	संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी कोटा संभाग कोटा
4	श्री विष्णु कुमार शर्मा	प्रधानाचार्य	रावउपासवि महापुरा जयपुर	सहायक निदेशक संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर
5	श्री महेन्द्र कुमार शर्मा	प्रधानाचार्य	रावउपासवि खेड़ला झालावाड़	संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी उदयपुर संभाग उदयपुर
6	श्री सत्यदेव चतुर्वेदी	प्रधानाचार्य	रावउपासवि महाराजपुरा तलाबगांव दौसा	प्रधानाचार्य, राजकीय संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय महापुरा जयपुर
7	श्री भूदेव शर्मा	प्रधानाचार्य	रावउपासवि मैड जयपुर	प्रधानाचार्य राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय, महापुरा जयपुर

  
(घनश्याम लाल शर्मा)  
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय संस्कृत शिक्षामंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2. निजि सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव संस्कृत शिक्षा।
3. निदेशक, संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
4. सम्बन्धित प्रधानाचार्य को द्वारा निदेशक संस्कृत शिक्षा।
5. रक्षित पत्रावली।

  
उप शासन सचिव